वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2016–2017)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016
फोन–0755–2430154, 2463585, फैक्स– 4292110
वेबसाईट : www.mperc.in
ई–मेल : secretary@mperc.nic.in

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	आयोग की संरचना	03
2.	कार्यकारी संक्षेपिका	03–6
3.	वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए विद्युत दर निर्धारण के मुख्य बिन्दु	07–12
4.	वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि में जारी विनियम तथा विनियमों में संशोधन तथा परिवर्धन	13
5.	विद्युत उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ	14
6.	परिशिष्ट–1	15
7.	परिशिष्ट–2	16
8.	परिशिष्ट–3 (अ, ब, स)	17–19
9.	परिशिष्ट–4	20

अध्याय – 1
आयोग की संरचना

डॉ. देव राज बिरदी आयोग के अध्यक्ष पद पर दिनांक 7.2.2015 से कार्यरत हैं इसी प्रकार आयोग के दो सदस्य क्रमशः श्री ए.बी. बाजपेयी दिनांक 11.12.2012 से तथा श्री आलोक गुप्ता दिनांक 2.1.2013 से कार्यरत है । आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है ।

अध्याय – 2
कार्यकारी संक्षेपिका

2.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) का गठन विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत किया गया था । तत्पश्चात् राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 में विद्युत सुधार अधिनियम पारित किया गया । इसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक व्यापक विधान है ।

2.2 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अनुसाार, आयोग से प्रत्येक में वर्ष एक बार वर्ष की गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण को दर्शाते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा की गई है जिसके अनुसाार प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां राज्य शासन को प्रेषित की जाती है तथा प्राप्त होने पर इन्हें राज्य सरकार यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करती है ।

2.3 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तद्नुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर इसे राज्य शासन को प्रेषित किया जाता रहा है। यह प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 से संबंधित है ।

वित्तीय वर्ष 2016–17 की गतिविधियों का सारांश

2.4 वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने निम्न टैरिफ आदेश जारी किये हैं :

(क) विद्युत उत्पादन टैरिफ के संबंध में जारी आदेश

क्र0	उत्पादन टैरिफ विवरण	याचिका क्र0	आदेश दिनांक
01.	आयोग द्वारा स्व–प्रेरणा याचिका के अंतर्गत मे0 एस्सार पावर (म.प्र.) लि0 द्वारा प्रदाय की जा रही 5% निशुल्क विद्युत हेतु स्वीकृत ईंधन प्रभार का पुनरीक्षण एवं गणना संबंधी टैरिफ आदेश ।	SMP 51/15	04-05-16
02.	म0प्र0 पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका क्रमांक 09/2016 (2x250 मेगावाट युनिट क्र 10 एवं 11 सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र सारणी हेतु आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 07.01.2016 पर) आदेश ।	09/2016	04-05-16

क्र0	उत्पादन टैरिफ विवरण	याचिका क्र0	आदेश दिनांक
03.	म0प्र0 पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा दायर याचिका 66/2015 के अंतर्गत आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु विद्युत उत्पादन टैरिफ का सत्यापन आदेश ।	66/2015	20-05-16
04.	मे0 जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्र0 70/2105 के अंतर्गत आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु विद्युत उत्पादन टैरिफ का सत्यापन आदेश ।	70/2015	03-06-16
05.	मे0 जयप्रकाश पावर वेंचर लि0 द्वारा दायर याचिका क्र0 64/2015 के अंतर्गत 2x660 मेगावाट ताप विद्युत केन्द्र हेतु पीपीए दिनांक 05.01.2011 अनुसार, विद्युत अधिनियम की धारा 86(1) (b) (f) के अंतर्गत आदेश ।	64/2015	08-07-16
06.	म0प्र0 पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्र0 08/2016 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु बहुवर्षीय टैरिफ की गणना संबंधी आदेश ।	08/2016	14-07-16
07.	मे0 जयप्रकाश पावर वेंचर लि0 द्वारा दायर याचिका क्र0 05/2016 के अंतर्गत 2x250 मेगावाट बीना ताप विद्युत केन्द्र युनिट क्र0 (1) एवं (2) के लिये 01.04.2016 से 31.03.2019 बहुवर्षीय टैरिफ गणना आदेश ।	05/2016	08-08-16
08.	मे0 एम0 बी0 पावर (म0प्र0) लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्र0 IA/2016, P-14/2016 के अन्तर्गत अंनन्तिम टैरिफ की गणना संबंधी आदेश ।	IA2/2016 P-14/2016	24-08-16
09.	म0प्र0 पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्र0 13/2014 के अंतर्गत माननीय अपीलीय अभिकरण द्वारा अपील क्र0 258/2012 के निर्णय को माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर सिविल अपील 7094/2011 के निर्णय तक टालने हेतु आदेश ।	13/2014	26-08-16

क्र0	उत्पादन टैरिफ विवरण	याचिका क्र0	आदेश दिनांक
10.	मे0 झाबुआ पावर लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्र0 16/2016 के अन्तर्गत 1x600 MW ताप विद्युत केन्द्र हेतु अनन्तिम टैरिफ की गणना संबंधी आदेश ।	16/2016	06-09-16
11.	मे0 एम0बी0 पावर (म.प्र.) लिमिटेड अनूपपुर द्वारा दायर याचिका क्र0 14/2016 के अन्तर्गत 2x600 ताप विद्युत केन्द्र हेतु अनन्तिम टैरिफ की गणना संबंधी आदेश ।	14/2016	01-10-16
12.	मे0 एस्सार पावर (म.प्र.) लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्र0 12 / 2016 के अन्तर्गत म0प्र0 पावर मै0क0लि0 द्वारा 150 मेगावाट पावर क्रय संबंधित पीपीए को समाप्त करने संबंधी याचिका ।	12/2016	08-12-16
13.	आयोग द्वारा स्वप्रेरणा याचिका के अंतर्गत म0 एस्सार पावर (म.प्र.) लि0 से म0प्र0 पावर मै0क0लि0 द्वारा 150 मेगावाट पावर क्रय किए जाने संबंधी स्वीकृत ईंधन प्रभार के पुनरीक्षण एवं गणना संबंधी आदेश ।	SMP 50/15	09-12-16
14.	मे0 लैंको अमरकंटक द्वारा आयोग के याचिका क्र0 36 वर्ष 2016 में दिनांक 29.08.2016 को पारित आदेश पर दायर पुनर्विचार याचिका क्र0 58/2016 पर आदेश ।	58/2016	30-01-17
15.	मे0 झाबुआ पावर लिमिटेड द्वारा आयोग के याचिका क्र0 16 / 2016 में जारी आदेश दिनांक 06.09.2016 पर दायर पुनर्विचार याचिका क्र0 65/2016 पर आदेश ।	65/2016	21-02-17

2.4 (ख) पारेषण टैरिफ से संबंधित जानकारी :

क्र0	पारेषण टैरिफ	याचिका क्र0	दिनांक
1	म0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्र0 67/2015 के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु पारेषण टैरिफ का सत्यापन आदेश ।	67/2015	18-04-16
2	याचिका क्र0 68 वर्ष 2015 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र जबलपुर द्वारा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण हेतु आदेश ।	68/2015	05-04-16
3	म0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्र0 02/2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु बहुवर्षीय टैरिफ की गणना संबंधी आदेश ।	02/2016	10-06-16

2.4 (ग) खुदरा प्रदाय विद्युत टैरिफ तथा सत्यापन आदेश

क्रमांक	खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
1	याचिका क्रमांक 73/2015 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश	05.04.2016
2	याचिका क्रमांक 71/2016 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश	31.03.2017

2.4 (घ) गैर परम्परागत स्त्रोतों से प्राप्त विद्युत हेतु टैरिफ आदेश

क्रमांक	टैरिफ आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
1.	बगास पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु टैरिफ आदेश दिनांक 01.04.2013 की नियंत्रण अवधि में वृद्धि ।	18.04.16
2.	सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु टैरिफ आदेश ।	08.08.16
3.	बायोमास पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति से संबंधित मानकों को संशोधित कर पुनरीक्षित टैरिफ आदेश ।	30.11.16
4.	लघु जल परियोजना पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु टैरिफ आदेश दिनांक 14.05.2013 की नियंत्रण अवधि में वृद्धि ।	04.04.16 28.03.17
5.	म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु टैरिफ आदेश ।	29.06.16

2.5 वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 67 याचिकाऐं, जिनमें 03 स्व–प्रेरणा याचिका सम्मिलित हैं, पंजीकृत की गई । पूर्व वर्ष की 30 याचिकाएं भी शेष थीं । इस प्रकार, कुल 97 याचिकाओं में से 70 याचिकाओं का निराकरण किया गया जबकि शेष 27 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2017–18 में जारी रहेगी ।

अध्याय–3

3.1 वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए विद्युत दर निर्धारण के मुख्य बिन्दु

दिनांक 05.04.2016 को जारी खुदरा प्रदाय विद्युत दर निर्धारण टैरिफ आदेशः

1. यह विद्युत दर निर्धारण आदेश 13 अप्रैल, 2016 से प्रभावी हुआ।

2. आयोग द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणीयों की विद्युत दरों में परिवर्तन किया गया है।

3. विद्युत वितरण कम्पनीयों द्वारा रूपये 30288 करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता प्रस्तावित की गई थी। जिसके विरूद्ध आयोग द्वारा रूपये 28327.91 करोड़ की आवश्यकता को ही ग्राहय किया गया है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा 2012–13 के खुदरा टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष 2013–14 के पारेषण टैरिफ आदेश एवं वित्तीय वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 के जनरेशन टैरिफ आदेश के सत्यापन का वित्तीय प्रभाव सम्मलित है।

4. तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को विनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप ही वितरण हानियों के स्तर को ग्राहय किया गया है ।

कम्पनी	वर्ष 2016–17 के लिए ग्राहय वितरण हानियों का स्तर
पूर्व	**18%**
पश्चिम	**16%**
मध्य	**19%**

5 **घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत भार के 10 प्रतिशत भाग को अस्थाई उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करना (एलवी–1):** अस्थाई आवश्यकता के प्रकरण में, स्वीकृत भार के 10 प्रतिशत भाग का उपयोग अस्थाई प्रयोजन के लिये विद्यमान मीटरीकृत स्थाई घरेलू संयोजन से स्थाई संयोजन हेतु प्रयोज्य समकक्ष विद्युत–दर पर किया जा सकता है।

6 **एलवी 2.1 गैर–घरेलू श्रेणी की प्रयोज्यता में संशोधन** : आयोग ने ''शालाओं (Schools)'' को श्रेणी एलवी 2.1 की प्रयोज्यता में सम्मिलित कर लिया है।

7 **एलवी 2.1 तथा एलवी 2.2 गैर–घरेलू श्रेणी हेतु टैरिफ संरचना में संशोधन** : आयोग ने विद्युत–दर संरचना को सरल बनाये जाने की दृष्टि से 10 किलोवाट से अधिक संविदा मांग हेतु अनिवार्य मांग आधारित विद्युत–दर का गठन किया है तथा ऐच्छिक मांग आधारित विद्युत–दर (केवल 10 किलोवाट से अधिक तथा 20 किलोवाट तक हेतु) को हटा दिया गया है।

8 **घरेलू तथा गैर–घरेलू श्रेणियों हेतु, पूर्व भुगतान उपभोक्ताओं को छूट की दर में परिवर्तन:** पूर्व भुगतान उपभोक्ताओं के प्रकरण में, मूल ऊर्जा प्रभारों पर 5 पैसे प्रति यूनिट की छूट प्रदान की गई है तथा लागू विद्युत–दर पर अन्य समस्त प्रभारों की गणना छूट के बाद की जानी चाहिए। पूर्व भुगतान मीटर के लिये विकल्प प्रदान करने वाले किसी उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभार के लिये प्रतिभूति निक्षेप (security deposit) का भुगतान करना अनिवार्य न होगा।

9 **निम्न दाब तथा उच्च दाब विद्युत–दर श्रेणियों में आधिक्य संयोजित भार अथवा आधिक्य मांग के कारण ऊर्जा हेतु अतिरिक्त प्रभार को हटाना** : निम्न दाब तथा उच्च दाब विद्युत–दर श्रेणियों के प्रकरण में, आधिक्य संयोजित भार अथवा आधिक्य मांग पर कोई अतिरिक्त प्रभार लागू नहीं होते। स्वीकृत भार/संविदा मांग पर 105 प्रतिशत से अधिक तथा 125 प्रतिशत तक निम्न दाब तथा उच्च दाब विद्युत–दर श्रेणियों हेतु स्थाई प्रभारों के प्रकरण में इसे स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत भार/संविदा मांग पर 125 प्रतिशत से आधिक्य मांग पर इसे स्थाई प्रभारों की सामान्य दर की दुगुनी दर पर प्रभारित किया जाएगा।

10 **एचवी 3.1 टैरिफ श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु वृद्धिशील भार कारक पर ऊर्जा प्रभारों में छूट** :

विद्यमान उच्च दाब संयोजनों हेतु छूट : एचवी 3.1 टैरिफ श्रेणी हेतु पूर्व वर्षों की उसी माह की खपत के संबंध में वृद्धिशील मासिक खपत हेतु ऊर्जा प्रभारों में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

11 **नवीन उच्च दाब संयोजनों हेतु छूट** : नवीन एचवी 3.1 टैरिफ श्रेणी हेतु, अभिलेखित खपत पर रू. 1 प्रति यूनिट अथवा 20 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, की छूट ऊर्जा प्रभारों पर लागू होगी, बशर्ते ये संयोजन पूर्णतया नवीन परियोजनाओं **(green field projects)** के लिये प्रदान किये गये हों तथा नवीन संयोजन, जिन्हें विद्यमान संयोजनों में स्वामित्व में परिवर्तन के कारण प्राप्त किया गया हो, को कोई छूट लागू न होगी।

12 **समयानुपाती अधिभार तथा छूट में परिवर्तन** : आयोग ने राज्य में अधिशेष विद्युत की उपलब्धता को संज्ञान में लिया है तथा सांय शीर्ष भार अधिभार **(peak load surcharge)** को समाप्त कर दिया है। शीर्ष बाह्य भार छूट **(off peak load rebte)** में बढ़ोतरी 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कर दी गई है।

3.2 वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु विद्युत–दर निर्धारण आदेश की मुख्य विशिष्टताएं :

दिनांक 31 मार्च 2017 को जारी खुदरा प्रदाय विद्युत दर निर्धारण टैरिफ आदेशः

1. यह विद्युत–दर निर्धारण आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ।
2. आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों हेतु विद्युत दरों (ऊर्जा प्रभारों तथा स्थाई प्रभारों) को पुनरीक्षित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये औसत दर वृद्धि 9.48% है।

3. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई अपनी याचिका में रूपये 32073 करोड़ के दावे के विरूद्ध आयोग द्वारा रू 31062.01 करोड़ की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता को स्वीकार किया गया है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता की सत्यापित राशि, वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु एमपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता की सत्यापित राशि तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 एमपी पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता की सत्यापित राशि के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु माननीय एप्टेल **(APTEL)** के आदेश के अनुपालन में वित्तीय प्रभाव को भी शामिल किया गया है।

4. वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु आयोग द्वारा विनियमों में विनिर्दिष्ट तथा इस आदेश मे स्वीकृत वितरण हानियों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

विद्युत वितरण कम्पनी	**वितरण हानि स्तर**
पूर्व क्षेत्र	**17%**
पश्चिम क्षेत्र	**15.5%**
मध्य द्वोत्र	**18%**

5. अमीटरीकृत ग्रामीण घरेलू संयोजनों हेतु आयोग द्वारा संयोजित भार के आधार पर ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार को निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार पुनर्निधारित किया गया है :

विवरण	**अमीटरीकृत संयोजनों हेतु प्रतिमाह बिल किये जाने वाली यूनिट संख्या तथा ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)**	**मासिक स्थाई प्रभार (रूपये)**
ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत संयोजन, जिनका संयोजित भार 300 वाट से अधिक तथा 500 वाट तक है	75 यूनिट, 430 पैसे प्रति यूनिट की दर से	70 प्रति संयोजन
ग्रामीण क्षेत्रों से अमीटरीकृत संयोजन, जिनका संयोजित भार 200 वाट से अधिक तथा 300 वाट तक है (दो कमरों तथा टेलीविजन सुविधा से युक्त)	60 यूनिट, 417 पैसे प्रति यूनिट की दर से	50 प्रति संयोजन
ग्रामीण क्षेत्रों से अमीटरीकृत संयोजन जिनका संयोजित भार 200 वाट तक है (दो कमरों तक तथा टेलीविजन सुविधा से विहीन)	50 यूनिट, 310 पैसे प्रति यूनिट की दर से	45 प्रति संयोजन

चूंकि विद्युत वितरण कम्पनियों ने शहरी क्षेत्रों मे शत प्रतिशत मीटरीकरण किया जाना प्रतिवेदित किया है, अतएव आयोग ने इस बारे में अमीटरीकृत शहरी घरेलू संयोजनों हेतु किसी आकलन मानदण्ड प्रदान करने पर कोई विचार नही किया है।

6 **उच्च दाब श्रेणी 6.2 के अनतर्गत थोक आवासीय प्रयोक्ता की प्रयोज्यता में संशोधन :**

इस श्रेणी के अंतर्गत आयोग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिये वृद्धावस्था आवास गृहों व दिवा देखभाल केन्द्रों (डेकेयर सेंटर्स), सुधारालयों (रेसक्यू सेंटर्स) तथा शासन एवं धर्मस्व न्यास द्वारा संचालित अनाथालयों को सम्मिलित किया गया है।

7 **घरेलू तथा गैर–घरेलू श्रेणियों के लिए पूर्व–भुगतान (प्रीपेड) उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट में वृद्धि :**

पूर्व–भुगतान पद्धति को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इन श्रेणियों में ऊर्जा प्रभारों पर छूट की राशि को वर्तमान में 5 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ाकर 20 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है।

8 **एलवी–4 औद्योगिक :**

25 अश्वशक्ति के स्थान पर 20 अश्वशक्ति संविदा मांग वाले उपभोक्ताओं के संबंध में बिलिंग टैरिफ श्रेणी 4.1 (ए) के प्रभारों की 30 प्रतिशत कम विद्युत–दर पर की जाएगी।

9 **निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ श्रेणियों हेतु अधिक संयोजित भार या अधिक मांग पर अतिरिक्त प्रभार को हटाना :**

निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ श्रेणियों मे, ऊर्जा प्रभारों पर अधिक संयोजित भार या अधिक मांग के कारण अतिरिक्त प्रभार लागू नहीं होंगे। निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ श्रेणियों हेतु अधिक संयोजित भार/मांग हेतु स्थाई प्रभारों के संबंध में स्वीकृत भार/संविदा मांग के 115 प्रतिशत तक स्थाई प्रभार सामान्य दर पर प्रभारित किया जायेगा स्वीकृत भार/संविदा मांग के 115 प्रतिशत से अधिक तथा 130 प्रतिशत तक विद्युत खपत करने वाले उपभोक्ताओं को स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 1.3 गुना दर के अनुसार प्रभारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि अधिक संयोजित भार/मांग स्वीकृत भार/संविदा मांग से 130 प्रतिशत अधिक हो तो उपभोक्ताओं को स्थाई प्रभारों की सामान्य दर से दुगुनी दर पर प्रभारित किया जाएगा।

10 एलवी–4 तथा एचवी–4 औद्योगिक मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु अधिकतम मांग को अब संविदा मांग की 31.5 प्रतिशत तक की सीमा तक (अर्थात, संविदा मांग के 30 प्रतिशत का 105 प्रतिशत), बिना किसी अतिरिक्त प्रभार अनुमति प्रदान की जाएगी।

11 ऑनलाईन देयक भुगतान हेतु छूट :

क. निम्न दाब हेतु : विद्युत देयक का ऑनलाईन भुगतान करने पर कुल देयक राशि पर 0.5 प्रतिशत छूट, न्यूनतम राशि रू. 5 तथा अधिकतम राशि रू. 20 तक के अंतर्गत, लागू होगी।

ख. उच्च दाब हेतु : विद्युत देयक का ऑनलाईन भुगतान करने पर, कुल देयक राशि पर 0.5 प्रतिशत छूट, अधिकतम राशि रू. 1000 के अंतर्गत लागू होगी।

12 रेलवे हेतु छूट– ऊर्जा प्रभारों हेतु रू. 2 प्रति यूनिट की छूट प्रदान की गई है जो अगले पांच वर्षों तक लागू रहेगी।

13 एचवी–3 टैरिफ श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु ऊर्जा प्रभारों पर छूट :

क. विद्यमान उच्चदाब संयोजनों हेतु छूट : वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष 2015–16 के तत्संबंधी माह के अंतर्गत विद्युत खपत पर इन्क्रीमेंटल मासिक खपत हेतु ऊर्जा प्रभारों पर 10 प्रतिशत छूट लागू होगी। संविदा मांग में वृद्धि होने संबंधी प्रकरण में, इन्क्रीमेंटल खपत की गणना यथानुपात की जाएगी।

ख. नवीन उच्च दाब संयोजनों हेतु छूट : नवीन संयोजनों एक रूपये प्रति यूनिट या 20 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, की छूट ऊर्जा प्रभारों हेतु अभिलेखित खपत पर लागू की गई है। यह छूट नवीन परियोजनाओं हेतु पांच वर्षो की अवधि के लिये लागू होगी जिनके लिये अनुज्ञप्तिधारी से वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 हेतु विद्युत प्रदाय के लिए अनुबंध
निष्पादित किये जाएंगे, बशर्ते ये संयोजन केवल ग्रीन फील्ड (पूर्णतया नवीन) परियोजनाओं के लिये प्रदान किये जाएं तथा यह भी कि नवीन संयोजन के स्वामित्व में परिवर्तन किये जाने पर नवीन संयोजनों हेतु यह छूट लागू न होगी। ग्रीन फील्ड (पूर्णतया नवीन) परियोजनाओं का तात्पर्य ऐसी परियोजनाओं से है जहां उपभोक्ता नवीन उद्योग/संयंत्र के निर्माण में मूल भूमि पर निर्माण कार्य पर पूंजी निवेश करता है तथा यह भी कि उक्त विशिष्ट भूमि पर पूर्व में किसी प्रकार का निर्माण/ संरचना विद्यमान नही होनी चाहिए।

14 11किलोवोल्ट, 33 किलोवोल्ट, तथा 132 किलोवोल्ट उच्चतर वोल्टेज स्तर पर संयोजनों के देय अतिरिक्त प्रभारों को 5 प्रतिशत, 3 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत से घटाकर क्रमशः 3 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत कर दिया गया है।

15. कैप्टिव विद्युत संयन्त्र के उपभोक्ताओं के लिये उनकी विद्युत प्रदाय व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारियों की ओर बदलने के प्रयोजन से उनकी कैप्टिव खपत में कमी लाकर, इन्क्रीमेंटल खपत पर रू 2 प्रतियूनिट की छूट का प्रावधान किया गया है। यह छूट पांच वर्षो की अवधि हेतु लागू होगी।

16. आयोग द्वारा खुली पहुंच (ओपन एक्सेस) उपभोक्ताओं के लिये लागू अतिरिक्त अधिभार की गणना 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से की गई है।

3.3 वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि में ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों हेतु पारित टैरिफ आदेश :

(1) **बगास पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु टैरिफ आदेश दिनांक 01.04.2013 की नियंत्रण अवधि में वृद्धि :** आयोग द्वारा दिनांक 01.04.2013 को पारित आदेश के अंतर्गत बगास पर आधारित नवीन विद्युत परियोजनाओं से संपूर्ण विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु नियंत्रण अवधि 31 मार्च 2016 तक के लिए संतुलित विद्युत दर रू0 6.28 प्रति यूनिट तथा अधिशेष विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु विद्युत दर रू0 2.25 प्रति यूनिट निर्धारित की गई थी । आयोग द्वारा दिनांक

18.04.2016 को उपरोक्त टैरिफ आदेश की नियंत्रण अवधि को नए टैरिफ आदेश पारित होने की दिनांक तक बढ़ाया गया ।

(2) **सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु टैरिफ आदेश :** आयोग द्वारा दिनांक 08.08.2016 को पारित आदेश के अन्तर्गत सौर ऊर्जा पर आधारित नवीन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु दिनांक 08.08.2016 व इसके बाद क्रियाशील होने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिए इनके 25 वर्ष के परियोजना जीवनकाल हेतु संतुलित विद्युत–दरें (levelized tariff) निर्धारित की गई जो प्रतियोगितात्मक बोली के अध्यधीन है ।

(3) **बायोमास पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति से संबंधित मानकों को संशोधित कर पुनरीक्षित टैरिफ आदेश :** आयोग द्वारा अपीलीय अधिकरण के आदेश दिनांक 04.05.2016 के तारतम्य में दिनांक 30.11.2016 को पारित आदेश के अंतर्गत बायोमास पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति से संबंधित मानकों को संशोधित कर पुनरीक्षित टैरिफ आदेश पारित किया गया । उपरोक्त आदेश में 20 वर्ष के परियोजना जीवनकाल के लिए वर्षवार विद्युत दरें निर्धारित की गई ।

(4) **लघु जल परियोजना पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु टैरिफ आदेश दिनांक 14.05.2013 की नियंत्रण अवधि में वृद्धि :** आयोग द्वारा दिनांक 14.05.2013 को पारित आदेश के अंतर्गत लघु जल परियोजना पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु नियंत्रण अवधि 31 मार्च 2016 तक के लिए विद्युत दरें निर्धारित की गई थी । उपरोक्त आदेश में 35 वर्ष के परियोजना जीवनकाल के लिए शासन को देय निःशुल्क ऊर्जा का प्रतिशत शून्य मानते हुए वर्षवार विद्युत दरें निर्धारित की गई थी । आयोग ने दिनांक 04.04.2016 एवं तत्पश्चात् 28.03.2017 को आदेशों द्वारा उपरोक्त टैरिफ आदेश की नियंत्रण अवधि को दिनांक 31.03.2018 तक बढ़ाया गया।

(5) **म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु टैरिफ आदेश :** आयोग द्वारा दिनांक 29.06.2016 को पारित आदेश के अन्तर्गत म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट पर आधारित नवीन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु दिनांक 29.06.2016 व इसके बाद क्रियाशील होने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिए इनके 25 वर्ष के परियोजना जीवनकाल हेतु संतुलित विद्युत–दर रू0 6.39 प्रति यूनिट निर्धारित की गई । उक्त विद्युत दर के निर्धारण में केन्द्रीय/राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी पर विचार नहीं किया गया ।

अध्याय – 4

वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि में जारी विनियम तथा विनियमों में संशोधन तथा परिवर्धन

मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्दिष्ट किया गया है कि आयोग, अधिसूचना जारी कर, इन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार अधिनियमों के उपबंधों के परिपालन हेतु सुसंगत विनियम बना सकेगा। तदनुसार, आयोग द्वारा समय–समय पर विनियम जारी किये गये हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान अधिसूचित विनियमों तथा विनियमों के संशोधनों तथा परिवर्धनों की सूची **परिशिष्ट – 2** में संलग्न है ।

अध्याय – 5

(1) विद्युत उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ :– विद्युत सुधारों के उद्धदेश्यों में से एक उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाना है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण को गति प्रदान किये जाने की सुविधा हेतु आयोग द्वारा विद्युत उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। विद्युत **उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ** की स्थापना दिनांक 15 मई, 2008 को आयोग कार्यालय के अंतर्गत आयोग के सलाहकार के पर्यवेक्षण में की गई। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान **उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ** में प्राप्त प्रकरणों के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :

(क)	दिनांक 31.3.2016 की स्थिति में लंबित शिकायतों की संख्या	42
(ख)	वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	247
(ग)	वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल शिकायतों की संख्या	289
(घ)	वित्तीय वर्ष के दौरान शिकायतों के निपटारे की संख्या	116
(ङ)	दिनांक 31.3.2017 की स्थिति में लंबित शिकायतों की संख्या	173

(2) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम :– राज्य में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों की स्थापना माह अक्टूबर/नवंबर, 2004 में की गई थी। वर्तमान में राज्य में तीन विद्युत वितरण कंपनियां कार्यरत् हैं तथा प्रत्येक वितरण कंपनी ने एक–एक फोरम की स्थापना की है। इन फोरमों के मुख्यालय इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर में स्थित हैं। इन फोरमों द्वारा, शिकायतों के निपटान हेतु परिवेदित उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न अन्य स्थानों पर भी सुनवाईयां आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2016–17 की अवधि में फोरमों द्वारा शिकायतों के निवारण संबंधी विवरण **परिशिष्ट–3(अ), 3(ब) तथा 3(स)** में दर्शाये गये हैं।

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के विवरण
(वर्ष 2016–17 की स्थिति में)

सरल क्रमांक	नाम	पदनाम	कार्य ग्रहण तिथि	कार्यकाल
1.	डॉ. देवराज बिरदी	अध्यक्ष	07.2.2015	13.01.2020
2.	श्री ए.बी. बाजपेयी	सदस्य	11.12.2012	10.12.2017
3	श्री आलोक गुप्ता	सदस्य	2.01.2013	01.01.2018

परिशिष्ट–2

दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक अधिसूचित किये गये विनियमों की सूची

स. क्रं.	विनियम का नाम	अधिसूचना क्रमांक	जारी करने की दिनांक	अधिसूचना दिनांक	विनियम क्रमांक
01	मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (शुल्क, अर्थ दण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2010 में प्रथम संशोधन	900	31.5.2016	10.6.2016	(एआरजी–21 (I) (i) वर्ष 2016)
02	मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 में चतुर्थ संशोधन	894	30.5.2016	24.6.2016	(एआरजी–6 (I) (iV) वर्ष 2016)
03.	मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (लघु–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा आपूर्ति) विनियम, 2016.	1439	02.09.2016	09.09.2016	(जी–40, वर्ष 2016)
04	मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (कारबार का संचालन) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2016	1490	14.9.2016	30.9.2016	(आरजी–10 (I) वर्ष 2016)
05.	'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (स्मार्ट ग्रिड) विनियम, 2016.	1578	29.09.2016	07.10.2016	(जी–41, वर्ष 2016)
06.	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मांग–परक प्रबंधन) विनियम, 2016.	1616	05.10.2016	28.10.2016	(जी–42, वर्ष 2016)
07.	''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015	125	20.01.2017	03.02.2017	[एजी–39 (i) वर्ष 2017]

परिशिष्ट– 3 (अ)

वर्ष 2016–17 हेतु मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल के विद्युत शिकायत निवारण फोरम के संबंध में जिलावार आवेदन तथा निराकरण की जिलावार अद्यतन स्थिति

क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.2017 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	ग्वालियर	13	76	63	26
2	दतिया	00	—	—	—
3	मुरैना	00	1	1	—
4	भिण्ड	02	6	4	4
5	गुना	00	—	—	—
6	अशोकनगर	00	—	—	—
7	शिवपुरी	01	5	5	1
8	श्योपुर	00	1	1	—
9	भोपाल	07	18	20	5
10	विदिशा	04	15	12	7
11	होशंगाबाद	04	5	9	—
12	बैतूल	00	—	—	—
13	राजगढ़	00	1	—	1
14	सीहोर	02	—	2	—
15	रायसेन	00	1	1	—
16	हरदा	00	—	—	—
	कुल योग	**33**	**129**	**118**	**44**

वर्ष 20016–17 हेतु मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इंदौर के विद्युत शिकायत निवारण फोरम के संबंध में जिलावार आवेदन तथा निराकरण की जिलावार अद्यतन स्थिति

कमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.17 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	इंदौर	12	130	118	24
2	धार	01	13	12	02
3	खरगोन	03	19	19	03
4	बडवानी	03	14	16	01
5	खंडवा	01	09	08	02
6	बुरहानपुर	04	49	36	17
7	झाबुआ	01	09	10	0
8.	आलीराजपुर	0	03	03	0
9	उज्जैन	08	60	59	09
10	रतलाम	03	20	19	04
11	मंदसौर	0	05	05	0
12	नीमच	01	09	06	04
13	देवास	05	14	17	02
14	शाजापुर	01	02	03	0
15	आगर	02	03	05	0
	कुल योग	**45**	**359**	**336**	**68**

o"kZ 2016&17 gsrq e/;izns'k iwoZ {ks= fo|qr forj.k daiuh] tcyiqj dh fo|qत शिकायत fuokj.k Qksje ds lEc/k esa ftykokj vkonu rFkk fujkdj.k dh ftykokj v|ru fLFkfr

Øekad	ftyk	o"kZ ds izkjEHk esa yafcr f'kdk;rksa dh la[;k	o"kZ ds nkSjku izkIr f'kdk;rksa dh la[;k	o"kZ ds nkSjku fujkd`r dh xbZ f'kdk;rksa dh la[;k	fnukad 31-03-17 dks yafcr f'kdk;rksa dh la[;k
1	tcyiqj	00	727	701	26
2	dVuh	00	418	415	03
3	eMyk	00	07	07	-
4	fMMkSjh	00	40	40	-
5	ujflagiqj	00	63	62	01
6	flouh	00	58	58	-
7	ckyk?kkV	00	12	12	-
8	fNanokMk	00	75	72	03
9	jhok	00	465	464	01
10	lruk	00	22	20	02
11	lh/kh	00	60	59	01
12	'kgMksy	00	213	213	-
13	mefj;k	00	05	05	-
14	vuwiiqj	00	02	02	-
15	flaxjkSyh	00	24	24	-
16	lkxj	00	93	91	02
17	nekg	00	106	100	06
18	Nrjiqj	00	34	30	04
19	iUuk	00	06	05	01
20	Vhdex<	00	51	49	02
	dqy ;ksx	fujad	2481	2429	52

विद्युत लोकपाल के समक्ष शिकायतों के प्रकरणों की अद्यतन स्थिति में प्रगति प्रतिवेदन
(दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक)

शिकायत की प्रकृति	अवधि के प्रारंभ में लंबित	अवधि के दौरान प्राप्त की गई	अवधि के दौरान निराकृत	कुल लंबित (संख्या)
विद्युत प्रदाय में अवरोध संबंधी	00	00	00	00
वोल्टेज संबंधी शिकायतें	00	00	00	00
भार कम करने/अनुसूचित अवरोध (लोड शेडिंग/शेड्यूल्ड आऊटेज) संबंधी	00	01	01	00
मीटर संबंधी शिकायतें	00	02	02	00
विद्युत देयक संबंधी शिकायतें	08	09	16	01
विद्युत प्रदाय का असंयोजन तथा पूर्व संयोजन संबंधी	00	00	00	00
नवीन संयोजन में विलंब संबंधी	01	02	03	00
अन्य शिकायतें, जैसे कि क्षति, मांग/भार में कमी/वृद्धि की जाना अथवा प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना, आदि	02	19	14	07
योग	**11**	**33**	**36**	**08**

———————